**भारत सरकार**

**कृषि मंत्रालय**

**कृषि एवं सहकारिता विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1095**

**16 अगस्‍त, 2013 को उत्तरार्थ**

**विषय : भूमि की उर्वरता में कमी**

**1095 : श्रीमती जया बच्‍चन :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

1. क्या रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण देश में कृषि भूमि की

उर्वरता और उत्‍पादकता में कमी आई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है ;

(ग) क्या सरकार देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने का विचार रखती है ;

(घ) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है ; और

(ड.) इस प्रयोजनार्थ आवंटित निधि का ब्‍यौरा क्‍या है और देश में जैविक

उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने में कृषि विश्‍वविद्यालयों की क्‍या भूमिका है ?

**उत्तर**

**कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर )**

**(क) एवं (ख)** रसायनिक उर्वरकों के उपयोग के कारण कृषि भूमि की उर्वरता और उत्‍पादकता में कमी होने का कोई वैज्ञानिक साक्ष्‍य नहीं है । तथापि, पिछले वर्षों में उर्वरकों के अन्‍धाधुन्‍ध और असंतुलित उपयोग और इसके साथ ही जैविक पदार्थ के कम वर्धन से बहु-पोषक तत्‍वों में कमियां और मृदा और स्‍वास्‍थ्‍य में विकृति आ सकती है जैसा कि “दीर्घावधि उर्वरक प्रयोग” में एआईसीआरपी के परिणामों से देखा जा सकता है ।

**(ग) एवं (घ)** सरकार राष्‍ट्रीय जैविक खेती परियोजना (एनपीओएफ), राष्‍ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) तथा राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) जैसी विभिन्‍न स्‍कीमों के माध्‍यम से देश में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है ।

राष्‍ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के तहत वर्मी कम्‍पोष्‍ट यूनिटों की स्‍थापना के लिए अधिकतम 30,000/- रू0 प्रति लाभार्थी को लागत की 50% की दर पर वित्‍तीय सहायता मुहैया कराई जाती है । जैविक खेती को अपनाने के लिए प्रति लाभार्थी 4 हैक्‍टेयर

….2/-

2

के अधिकतम क्षेत्र के लिए अधिकतम 10,000/- रू0 प्रति हैक्‍टेयर पर लागत की 50% की दर पर भी निधियां मुहैया कराई जाती हैं । एनपीओएफ स्‍कीम के तहत फल/ सब्‍जी मण्‍डी वेष्‍ट/एग्रो वेस्‍ट कम्‍पोष्‍ट यूनिटों की स्‍थापना किए जाने के लिए जैविक संबद्ध पार्श्‍वान्‍त राजसहायता के रूप में 60.00 लाख रू0 तक प्रतिबंधित 33% और जैव उर्वरक उत्‍पादन यूनिटों/जैव कीटनाशक उत्‍पादन यूनिटों की स्‍थापना किए जाने के लिए 40.00 लाख रू0 तक प्रतिबंधित 25% वित्‍तीय सहयात मुहैया कराई जाती है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने देश के विभिन्‍न कृषि परिस्‍थितिकीय क्षेत्रों में जैवकि खेती के अधीन विभिन्‍न फसलों व फसल प्रणालियों की पद्धतियों के पैकेज का विकास करने के उद्देश्‍य से पथप्रदर्शक केन्‍द्र कृषि प्रणाली अनुसंधान परियोजना निदेशालय, मोदीपुरम के साथ जैविक खेती पर एक नेटवर्क परियोजना शुरू की है।

**(ड.)** एनपीओएफ के तहत जैविक खेती के संवर्धन के लिए 427.00 लाख रू0 की निधि मुहैया कराई गई है । इसी तरह से आईसीएआर की जैविक खेती संबंधी नेटवर्क परियोजना के तहत 120.00 लाख रू0 की धनराशि आवंटित की गई है । एनएचएम के तहत जैविक खेती के लिए 1215.50 लाख रू0 की धनराशि आवंटित की गई है।

जैविक उर्वरकों के उपयेाग को बढ़ावा देने में आईसीएआर और राज्‍य कृषि विश्‍चविद्यालयों की मुख्‍य भूमिका प्रशिक्षणों और प्रदर्शनों सहित उत्‍पादन तथा उनके विवेक पूर्ण उपयोग के लिए उन्‍नत प्रौद्योगिकी मुहैया कराने की है ।

**\*\*\*\*\***